<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

क्रमांक : एफ. 7(01) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा) / 2018–2019 / 3065 **दिनांक :** 08.02.2021

प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रति0 परीक्षा, 2018 हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 13.04.2018 तथा शुद्धि पत्र दिनांक 19.09.2019 के क्रम में प्राध्यापक–कृषि हेतु आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से **विचारित सूची दिनांक 28.07.2020 में सम्मिलित 660 अभ्यर्थियों को छोड़कर** शेष सभी 1590 अभ्यर्थियों को कृषि विषय में स्नातकोत्तर व बी0एड0 योग्यता के संबंध में सूचना प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेस–विज्ञप्ति व प्रेस–नोट दिनांक 15.01.2021 जारी किये गये। आयोग के प्रेस–विज्ञप्ति व प्रेस–नोट के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर कतिपय स्नातकोत्तर व बी0एड0 योग्यताधारक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 15.02.2020 से 16.02.2020 तक काउंसलिंग स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर रोड़, अजमेर में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों के रोल नं. की सूची, काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 10.02.2021 से डाउनलोड कर काउसंलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्व–प्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में स्वयं व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित होवें। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोविड–19 महामारी के संबंध में राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों (Guideline) की पूर्णतः पालना करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को मास्क पहन कर आना अनिवार्य है, साथ ही काउंसलिंग पत्र दिखाने एवं थर्मल स्केनिंग के बाद ही काउंसलिंग परिसर में प्रवेश दिया जावेगा।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनिट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जावेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउसंलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि प्राध्यापक–कृषि के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त पदों की भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा तिथि से पूर्व पद हेतु अपेक्षित स्नातकोत्तर–कृषि व बी0एड0 योग्यताधारक हैं और उनके द्वारा आयोग की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.01.2021 के तहत् निर्धारित अवधि में आयोग कार्यालय को सूचित नहीं किया गया है एवं ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व की काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं, वे अभ्यर्थी भी उक्त काउंसलिंग अवधि दिनांक 15.02.2021 से 16.02.2021 में काउंसलिंग हेतु विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्व–प्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिशः आयोग कार्यालय में उपस्थित होवें। इसके उपरांत अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा।

(शुभम् चौधरी)
सचिव